न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 105 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/117)
पंजीयन दिनांक– 25.02.2021
निर्णय दिनांक– 28.07.2021

1. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आसावरा तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. ग्राम पंचायत आसावरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, आसावरा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, प्राथमिक स्वास्थ्य भवन निर्माण केन्द्र आसावरा जरिये ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री पी. सी. पालीवाल –अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अभिभाषक –अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के प्रकरण
संख्या–25 / 2019 निर्णय दिनांक 04.10.2019

निर्णय

दिनांक 28.07.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के प्रकरण संख्या 25 / 2019 निर्णय दिनांक 04.10.2019 के विरूद्ध दिनांक 05.11.2019 को न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने

से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 25.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अपीलांट व राज्य सरकार के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत मौजा आसावरा की खाता संख्या 1 में दर्ज आराजी नम्बर 1075 रकबा 1.70 हैक्टेयर जिसके नवीन आराजी नम्बर 1601/1075 रकबा 0.65 हैक्टेयर अंकित किये गये, जो रेस्पोडेंट संख्या 2 के भवन निर्माण केन्द्र हेतु आवंटन की गई, जो इंतकाल नम्बर 1402 दिनांक 27.09.2013 को नवीन जमाबंदी में दर्ज की गयी नवीन आराजी नम्बर 1601/1075 के पुराने आराजी नम्बर 908 मी रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा रेस्पोडेंट संख्या 1 को आवंटित की गयी जिसके बटा नम्बर 908/11 अंकित हुए, उक्त आराजीयात सेटलमेंट से पूर्व साबिक आराजी नम्बर 1601/1075 व 1080 जो रेस्पोडेंट संख्या 2 के भवन निर्माण हेतु आवंटन के समय पुराने नक्शा ट्रेस में सही रूप से तरमीम था जो आसावरा माता जी से भदेसर जाने वाले आम रोड के पूर्व दिशा की ओर रोड से लगता हुआ आवंटन किया गया था। परंतु भू–प्रबंध अधिकारियों द्वारा उक्त आराजीयात को आसावरा माता से भदेसर वाले आम रोड के पश्चिम दिशा की ओर गलत तरमीम कर दिया गया। मौके पर रेस्पोडेंट संख्या 2 के आवंटन अनुसार तरमीम नही कर राजस्व अधिकारियों द्वारा नवीन आराजी की तरमीम को राजस्व नक्शे में गलत रूप से अलग जगह तरमीम कर दी जिसे दुरस्त करये जाने के आधिकारी है। उक्त आशय का प्रकरण विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज कर प्रकरण संख्या 25/2019 निर्णय दिनांक 04.10.2019 से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04.10.2019 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *"पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार, भदेसर द्वारा प्रस्तुत कमीशनरी रिपोर्ट से स्पष्ट होता है के भू–प्रबंध विभाग द्वारा मौके की संरचना एवं कब्जे को ध्यान में नहीं रखते हुए नवीन कायम किये गए आराजी नम्बरान त्रुटिपूर्ण है। संबंधित*

विभाग/संस्था/काश्तकार का साबिक नम्बरान के मुकाबले राजस्व नक्शा ट्रेस में पैमूदगी नहीं की जाने से राजस्व रेकार्ड की वर्तमान स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जो शुद्ध कराया जाना न्याय संगत है।

अतः हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार, भदेसर की अनुशंषा के आधार पर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस में निम्न प्रकार शुद्धि से परिवर्तन किये जाने का आदेश दिया जाता हैः–

क्र.स.	नाम काश्तकार/खातेदार	वर्तमान में दर्ज		नवीन दर्ज किये जाने	
		आरजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा
1	चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य विभाग, प्रा. स्वा. केन्द्र भवन निर्माण आसावरा	1601/1075	0.65 है.	1077 में	0.65
योग		किता–1	0.65 है.	किता–1	0.65
2	राजकीय प्राथमिक विद्यालय आसावरा समन्वित विभाग रा.उ.मा. वि. आसावरा	1080	0.43 है.	1077 में से 1080 में से	0.16 है. 0.27 है.
योग		किता–1	0.43 है.	किता–2	0.43 है.
3	राजकीय प्राथमिक विद्यालय आसावरा समन्वित विभाग रा.उ.मा. वि. आसावरा	1077	0.81 है.	1080 में से 1081 में से	0.16 है. 0.65 है.
योग		किता–1	0.81 है.	किता–2	0.81 है.
4	आबादी	1081	2.38 है.	1081 में से 1083 में से	1.73 है. 0.65 है.
योग		किता–1	2.38 है.	किता–2	2.38 है.
5	बिलानाम	–	–	1601/1075	0.65 है.
योग		–	–	किता–1	0.65 है.

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में अमल–दरामद किया जावे तथा संबंधित संस्था/विभाग को मौके पर कब्जा सुपुर्द करया जावें।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट

की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 23.07.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय आसावरा की ढ़ाणी, पंचायत समिति भदेसर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसावरा में सत्र 2015–16 में समन्वित किया जा चुका है जिससे राजकीय प्राथमिक विद्यालय आसावरा की ढ़ाणी की समस्त चल–अचल सम्पत्ति राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसावरा के अधीन आ चुकी है। रा. प्रा. वि. आसावरा की ढ़ाणी के नाम पर विद्यालय भवन की भूमि खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.43 हैक्टेयर एवं खेल मैदान की भूमि खसरा नम्बर 1077 रकबा 0.81 हैक्टेयर आवंटित हो कर दर्ज है उक्त भूमि पर आंवटन के समय से विद्यालय का कब्जा चला आ रहा तथा अन्य किसी का कोई कब्जा नहीं है यह भूमि चित्तौड़गढ़–बड़ीसादड़ी सड़क के पूर्व दिशा में है और आवंटन के बाद से विद्यालय के छात्र–छात्राओं के लिये इस भूमि का उपयोग निर्बाध रूप से किया जा रहा है। प्रकरण में जो खसरा नम्बर प्रार्थीगण द्वारा दर्शाये गये है ये आराजीयात यदि विद्यालय के पास स्थित भूमि की है तो भी विद्यालय की भूमि व खेल मैदान में दखल अंदाजी के बिना विद्यालय की भूमि को विद्यार्थियों के उपयोग हेतु यथावत संरक्षित रखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को पुरानी आवंटित भूमि की तरमीम की जा सकती है। साथ ही अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आराजी नम्बर 1077 रकबा 0.81 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 1080 रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि का नामांतरकरण रा. प्रा. वि. रासावरा की ढ़ाणी के स्थान पर रा. उ. मा. वि. आसावरा के नाम करने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 राजकीय अभिभाषक अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2019 नियमानुसार होकर उचित है। अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि इन्द्राज दुरूस्ती से संबंधित विवाद में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेण्ट द्वारा यह आवेदन किया गया था कि प्रार्थी संख्या 2 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को आवंटन अनुसार खातेदारी व कब्जे के अनुसार भूमि का नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावें। अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम पंचायत भी अपीलाण्ट के साथ शामिल थी। उपरोक्त प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में शिक्षा विभाग की ओर से जो जबाब दिया गया, उसमें सिर्फ यह वर्णित किया गया कि विद्यालय की भूमि को विद्यार्थियों के उपयोग हेतु यथावत संरक्षित रखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को पुरानी आवंटित भूमि को तरमीम की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत जांच करवाकर सम्पूर्ण आराजीयात के सन्दर्भ में विवेचन करते हुए दिनांक 04.10.2019 को अपना निर्णय पारित किया है तथा उसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, विद्यालय, आबादी एवं बिलानाम की भूमियों की भू–प्रबन्ध पूर्व की तरमीम के आधार पर अपना संशोधन आदेश जारी किया है। दौराने बहस वकील अपीलाण्ट द्वारा सदाशयता एवं सहृदयपूर्वक यह स्वीकार किया कि वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का भवन भी निर्णयानुसार भूमि पर बन चुका है। अपीलाण्ट द्वारा अपील में जो आधार लिये गये हैं, उनमें अधीनस्थ न्यायालय के तरमीमशुदा आदेश को किस प्रकार त्रुटिपूर्ण है, इस बाबत् कोई ठोस वजह नहीं दी है। इससे भी इतर जब यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि प्रधानाचार्य, विद्यालय द्वारा राजकीय विभागों के मध्य वादकरण बिना सक्षम आदेशों के किया है। माननीय उच्च न्यायालयों एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार अन्तर विभागीय अनावश्यक वादकरण नहीं होना चाहिये तथा संबंधित सरकारी विभागों को अन्तर विभागीय समन्वय के मार्फत् से प्रकरणों का निस्तारण करना चाहिये। प्रधानाचार्य द्वारा इस प्रकरण को विभागीय स्तर पर उठाकर विभाग से सक्षम अनुमति लेकर यह वादकरण किया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की तरमीम के अनुसार विवादित भूमि पर सार्वजनिक

धन से व्यय होकर सार्वजनिक परिसम्पत्ति का निर्माण हो चुका है, अपील में अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय में क्या सारभूत त्रुटि है, यह भी नहीं बताया है। अतएवं अपील को तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से उचित नहीं माना जाता, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं न्यायहित में हम अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्दिष्ट करना उचित समझते हैं कि विद्यालय भी राजकीय होकर आम जनता के हितार्थ रहता है, अतएवं मानदण्डानुसार यदि विद्यालय के पास भूमि की कमी हो तो उपलब्धता के अनुसार निकटतम स्थान पर विद्यालय को अतिरिक्त भूमि आवंटन हेतु विद्यालय के आवेदन पर कार्यवाही करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील अपीलाण्ट उपरोक्त प्रेक्षणों के दृष्टिगत खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर